

Regarding request to withdraw the requirement of qualifying TET exam for in service teachers

श्री संजय उत्तमराव देशमुख (यवतमाल-वाशिम) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य, उनके परिवारों की सुरक्षा और करोड़ों विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े अत्यंत गंभीर विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हुआ हूँ ।

महोदय, हमारे देश में बड़ी संख्या में शिक्षक सरकार द्वारा नियुक्ति के समय लागू नियमों, पात्रताओं और प्रशिक्षण के आधार पर पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया से चयनित हुए थे । उनकी नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं थी, कोई अनियमितता नहीं थी । वे वर्षों से ईमानदारी और निष्ठा से शिक्षण कार्य कर रहे हैं । लेकिन आज उनकी नौकरियाँ केवल एक कारण से खतरे में हैं, वह टीईटी परीक्षा को अचानक और पूर्वलक्षी प्रभाव से अनिवार्य कर देने के कारण से है ।

महोदय, जब ये शिक्षक नियुक्त हुए थे, तब टीईटी जैसी कोई शर्त मौजूद ही नहीं थी । अब इतने वर्षों बाद यह कहना कि नौकरी बनाए रखनी है तो टीईटी पास करो, यह सरासर अन्याय है । यह प्रशासनिक गलती का भार शिक्षकों पर थोपना है और उनके साथ गंभीर अन्याय है ।

महोदय, देश के ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज़ क्षेत्रों में शिक्षा पूरी तरह इन्हीं शिक्षकों के भरोसे चलती है । यदि टीईटी की अनिवार्यता के कारण लाखों शिक्षक असुरक्षित हो गए या नौकरी से बाहर हुए, तो उन स्कूलों का क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था पर भारी संकट खड़ा हो जाएगा । आरटीई शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना है, शिक्षकों को हटाना नहीं ।

महोदय, शिक्षक की योग्यता केवल एक लिखित परीक्षा से नहीं आँकी जा सकती । उसका असली मूल्य उसके अनुभव, उसकी समझ और विद्यार्थियों पर पड़े सकारात्मक प्रभाव से तय होता है । कई वर्षों तक सेवा देने वाले शिक्षकों को अचानक एक परीक्षा के आधार पर अयोग्य ठहराना उनके सम्मान को ठेस पहुँचाने जैसा है । सेवा के वर्षों बाद नियम बदलकर उन्हें पीछे से लागू करना किसी भी लोकतंत्र में न्यायसंगत नहीं हो सकता । इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि टीईटी की अनिवार्यता तुरंत समाप्त की जाए । (व्यवधान)